फाइल सं० 35-8/2005-ओ०एंड एम० एंड पी०जी० सेल

भारत सरकार

कृषि मंत्रालय

कृषि और सहकारिता विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक 7 नवम्बर, 2005

कार्यालय आदेश

दिनांक 12.9.2005 के समसंख्यक कार्यालय आदेश के अधिक्रमण में तथा सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 की उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुसरण में कृषि एवं सहकारिता विभाग, उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ज) के अर्थ के भीतर जन प्राधिकारी होते हुए, एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से अगले आदेशों तक कृषि एवं सहकारिता विभाग में निदेशक श्री अमित झा को केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के रूप में अभिनामित करता है ।

2. श्री झा अपने विद्यमान कर्त्तव्यों के अतिरिक्त सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन सौंपे गए सीपीआईओ के कार्यों तथा कर्त्तव्यों का निर्वाह करेंगे ।

(पी०के० जलाली)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

वितरण:

1. श्री अमित झा, निदेशक, कृषि एवं सहकारिता विभाग । सूचना अधिकार अधिनियम, 2005, उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा अधिनियम की धारा 4(1) (ख)(i) से (xvi) के अधीन प्रकाशित 16 पुस्तिकाओं की प्रत्येक की एक-एक प्रति संलग्न है ।
2. श्री नावेद मसूद, संयुक्त सचिव (डीएम एंड आईसी) तथा सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अधीन अपील अधिकारी ।
3. श्री यू०के०एस० चौहान, निदेशक (विस्तार एवं आई०टी०), कृषि एवं सहकारिता विभाग ।
4. कृषि मंत्री/कृषि राज्य मंत्री के निजी सचिव ।

5. सचिव (कृषि एवं सहकारिता) के प्रधान निजी सचिव ।
6. विशेष सचिव के प्रधान निजी सचिव ।
7. सभी अपर सचिव एवं समतुल्य पदाधिकारी ।
8. कृषि एवं सहकारिता विभाग में सभी प्रभागाध्यक्ष ।
9. कृषि एवं सहकारिता विभाग में सभी अधिकारी एवं अनुभाग ।
10. आर०टी०आई० अधिनियम सेल ।
11. श्री हरी कुमार, निदेशक (स्था०-ख), कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को डीओपीटी के दिनांक 15.7.2005 के अ०शा० पत्र सं० 34012/4(एस)/2005 स्थापना (ख) के संदर्भ में ।
12. सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के संबंध में सूचनार्थ कृषि एवं सहकारिता विभाग हेतु डीओपी एंड टी में नोडल अधिकारी श्री विधु कश्यप, निदेशक (जे०सी०ए०), डीओपी एंड टी, कमरा नं० 215, नार्थ ब्लॉक ।
13. नोटिस बोर्ड, कृषि एवं सहकारिता विभाग ।
14. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी को इस अनुरोध के साथ कि कार्यालय आदेश को विभाग की कार्यालयी वेबसाईट पर डाला जाए । यह भी अनुरोध किया जाता है कि निदेशक श्री यू०के०एस० चौहान को सीपीआईओ के रूप में अभिनामित करने वाला दिनांक 12.9.2005 का पहले का कार्यालय आदेश विभाग की वेबसाईट से हटाया जाए तथा वर्तमान कार्यालय आदेश से प्रतिस्थापित किया जाए ।
15. प्रधान एस०ए० (एनआईसी) को उसी तरह के अनुरोध के साथ जैसा कि उपर्युक्त क्रम सं० 14 के पृष्ठांकन पर अनुरोध किया गया है ।

(रमेश कुमार)
उप सचिव, भारत सरकार